No. A-12023/1/2021-Ad.IV Government of India Ministry of Corporate Affairs

'A' Wing, 5th floor, Shastri Bhawan, Dr. R.P. Road, New Delhi-110001 Dated: 12 July, 2022

Secretaries to Government of India, All Ministries/Departments of the Government of India.

- 2. All Chief Secretaries to the State Government/Union Territories.
- 3. Registrars General of All High Courts.
- 4. Chairperson, IBBI.
- 5. Registrar, National Company Law Appellate Tribunal.
- 6. Secretary, National Company Law Tribunal.
- 7. Secretary, CCI.
- 8. Secretary, NFRA,
- 9. Secretary, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), I.P. Estate, New Delhi-110002.
- 10. Secretary, Institute of Cost Accountants of India (ICoAI), Sudder Street, Kolkata.
- 11. Secretary, Institute of Company Secretaries of India (ICSI), Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003

Sub: Filling up of 08 (eight) posts of Judicial Member and 11 (eleven) posts of Technical Members in the National Company Law Tribunal (NCLT) – inviting online applications for.

Sir,

I am directed to state that online applications (available on portal https://apptrbmembermca.gov.in) are invited for the 08 (eight) post of Judicial Members and 11 (eleven) posts of Technical Members, National Company Law Tribunal (NCLT) constituted under Section 408 of the Companies Act, 2013. The number of vacancies are tentative and may decrease or increase without prior notice.

2. The selected candidates will be required to serve at any of the already constituted NCLT benches or benches to be constituted in future in different parts of the country in a phased manner with All India transfer liability as per availability of the vacancies/exigencies of work.

3. Qualifications for Judicial Member: As per the provisions of Section 409(2) of the Companies Act, 2013, a person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he/she:-

(a) is, or has been, a judge of a High Court, or

- (b) is, or has been, a District Judge for at least five years, or
- (c) has, for at least ten years been an advocate of a court.

Explanation - For the purposes of clause (c), in computing the period during which a person has been an advocate of a court, there shall be included any period during which the person has held judicial office or the office of a member of a tribunal or

1

any post, under the Union or a State, requiring special knowledge of law after he become an advocate.

Qualifications for Technical Member: As per the provision of Section 409 (3) of the Companies Act 2013 as amended by Companies (Amendment) Act, 2017, a person shall not be gualified for appointment as a Technical Member unless he/she-

- (a) has, for at least fifteen years been a member of the Indian Corporate Law Service or Indian Legal Service and has been holding the rank of Secretary or Additional Secretary to the Government of India; or
- (b) is, or has been in practice as a chartered accountant for at least fifteen years; or
- (c) is, or has been, in practice as a cost accountant for at least fifteen years; or
- (d) is, or has been, in practice as a company secretary for at least fifteen years; or
- (e) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than fifteen years, in industrial finance, industrial management, industrial reconstruction, investment, accountancy; or
- (f) is, or has been, for at least five years, a presiding officer of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal constituted under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947).

4. A person shall not be eligible for appointment as Member unless he/she has completed <u>the age of 50 (fifty years) [Section 413(2) of Companies Act, 2013]</u> as on the last date of receipt of online application.

5. **Terms of Appointment**: The Member(s) will draw pay in the pay level of 15 as per 7th Central Pay Commission plus allowances as admissible. Pay protection is available for applicants, serving or retired (Government officer or Chairman, Vice-chairman, President, Vice-President, Presiding officer, Member of a Tribunal, Appellate Tribunal or an authority, or a Judge of High Court), who are/were in higher pay scale, including apex scale in Govt. of India. The pay scale and other service conditions would be governed by National Company Law Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of the President and other Members) Rules, 2015. A copy of the rules is also available on the website of the Ministry of Corporate Affairs. A person selected, if already in Government Service, may retain his/her lien with his/her parent cadre or Ministry or Department, as the case may be, while holding office as such for a period not exceeding one year.

6. After joining as a Member in the Tribunal, if any Member wishes to apply for other assignments in any organization/post, his/her application will be considered for forwarding to that assignment only after completion of two years of service as Member NCLT.

7. Every Member shall hold office for a period of five years from the date on which he/she enters upon his/her office, but shall be eligible for re-appointment for another term of 5 years. The term of appointment is, however, subject to the maximum age limit of sixty-five years.

8. Selected candidates will be required to produce a medical fitness certificate before joining.

9. Applications of persons working in Court/Government Service/Public Sector Undertaking/other organizations should be forwarded through proper channel within 10 days from the closing date of online application. The forwarding authorities should also certify (in the format given in Annexure of the online application) that the entries in the application have been verified from the records and found correct, and that no disciplinary/vigilance proceedings are either pending or contemplated against the applicant and that no major/minor penalties have been imposed on the officer during the last ten years. The forwarding authorities should enclose the up-to-date Confidential Report Dossiers of the applicant for the last five years.

10. Interested persons are advised to visit the portal https://apptrbmembermca.gov.in, in order to submit online application from 10.00 AM of 15.07.2022. The detailed instruction for filling up the application form online are available on the portal (under "Instruction for applying online" heading). All requisite and relevant documents need to be uploaded online while filling up of application. Last date for submitting online application is 12.08.2022 at 05:30 PM.

11. Print out of the applications after final submission on online portal duly completed, and signed alongwith copies of uploaded documents, and through proper channel (accompanied by a certificate by the present employer in Annexure), wherever applicable, should reach Shri Riazul Haque, Under Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Room No 526, A 'Wing, 5th floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 latest by 05:30 PM of 23.08.2022.

12. The process for appointment, however, be subject to orders/outcome of the WP (C) 180/2022 filed in the Supreme Court, or any other similar petition in any other Competent Court.

13. Wide publication may be given to this advertisement by addressee organizations and their filed offices, so as to facilitate early and optimum number of applications.

Yours faithfully,

(Amar Singh Meena) Director

Copy to:

- 1. Under Secretary, Ad.II Section, MCA for circulation among eligible ICLS Officers
- 2. Technical Director, NIC, MCA with the request to upload the vacancy circular on the portal.
- 3. Technical Director, NIC, DoPT with the request to upload the vacancy circular on the DoPT's website.
- 4. E governance Cell, Ministry of Corporate Affairs with the request to upload the vacancy circular on the website of the Ministry.

(Certificate to be furnished by the Employer/Head of office/Forwarding authority)

Certified that the particulars furnished by ------ and application No______ are correct and he/she possesses educational qualifications and experience mentioned in vacancy circular. It is also certified that:-

- (i) There is no vigilance or disciplinary case pending/contemplated against Sh. /Smt. -----.
- (ii) His/her integrity is certified.
- (iii) His/her CR/APAR dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs/APAR for the last five years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary to the Govt. of India or above, are enclosed.
- (iv) "No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last ten years."
- (v) A list of major/minor penalties imposed on him/her last ten years is enclosed.

Signature-----

Name and Designation-----

Tel. No.-----

Office Seal

Place : Date: List of enclosures: 1. 2. 3. 4. 5. (Strike out which is not applicable)

4

सं.ए-12023/1/2021-प्रशा.।∨ भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन, डॉ. आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांकः 12 जुलाई, 2022

सेवा में,

- 1. सचिव, भारत सरकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- 2. सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य सचिव।
- 3. सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार।
- 4. अध्यक्ष, आईबीबीआई।
- 5. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण।
- 6. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण।
- 7. सचिव, सीसीआई
- 8. सचिव, एनएफआरए
- 9. सचिव, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
- 10. सचिव, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई), सदर स्ट्रीट, कोलकाता
- 11. सचिव, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषयः राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में न्यायिक सदस्य के 08 (आठ) पद और तकनीकी सदस्य के 11 (ग्यारह) पदों को भरने के संबंध में- ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में न्यायिक सदस्यों के 08 (आठ) और तकनीकी सदस्यों के 11(ग्यारह) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन (<u>https://apptrbmembermca.gov.in</u> पोर्टल पर उपलब्ध) आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या अनंतिम हैं और ये बिना किसी पूर्व सूचना के घटाई या बढाई जा सकती हैं।

2. चयनित उम्मीदवारों से पहले से गठित एनसीएलटी खंडपीठों या भविष्य में देश के विभिन्न भागों में चरणबद्ध तरीके से गठित किए जाने वाले खंडपीठों में कार्य करना अपेक्षित है और वे इस नियुक्ति में रिक्ति/कार्य की अनिवार्यता के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर स्थानांतरण के लिए दायी होंगे।

3. **न्यायिक सदस्य की अर्हताएं**: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(2) के उपबंधों के अनुसार, कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा, जब तक कि वह:-

(क) उच्च न्यायालय का न्यायधीश हो या रहा हो, या

(ख) कम से कम पांच वर्षों के लिए जिला न्यायधीश हो या रहा हो, या

(ग) कम से कम दस वर्षों के लिए किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।

स्पष्टीकरण: खंड (ग) के प्रयोजनार्थ, उस अवधि की गणना करते समय, जिसके दौरान एक व्यक्ति किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा है, में ऐसी कोई अवधि जिसके दौरान उस व्यक्ति द्वारा किसी न्यायिक कार्यालय में या किसी अधिकरण के किसी सदस्य के कार्यालय में कोई पद धारण करने या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने की अवधि भी शामिल की जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति के अधिवक्ता बनने के पश्चात् विशेष ज्ञान अर्जित करना अपेक्षित होगा। तकनीकी सदस्य की अर्हताएं: कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(3) के उपबंधों के अनुसार, एक व्यक्ति न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह -

- (क) कम से कम 15 वर्षों के लिए भारतीय कारपोरेट विधि सेवा या भारतीय विधि सेवा का सदस्य हो और भारत सरकार में सचिव या अपर सचिव के पद पर कार्य किया हो; या
- (ख) कम से कम 15 वर्षों के लिए चार्टर्ड लेखाकार के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (ग) कम से कम 15 वर्षों के लिए लागत लेखाकार के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (ए) कम से कम 15 वर्षों के लिए कंपनी सचिव के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (ङ) एक सक्षम, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और जिसके पास विशेष ज्ञान हो और औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्गठन, निवेश, लेखांकन में कम से कम 15 वर्षों का व्यवसायिक अन्भव रहा हो; या
- (च) वह व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी हो या रहा हो।

4. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा जब तक आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 50 (पचास) वर्ष की आयु किंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 413(2)] पूरी न कर ली हो।

5. नियुक्ति के निबंधनः सदस्य 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर-15 और इसके अतिरिक्त यथास्वीकृत भत्ते सहित वेतन प्राप्त करेंगे। कार्यरत या सेवानिवृत्त (सरकारी अधिकारी या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, पीठासीन अधिकारी, किसी अधिकरण, अपील अधिकरण या किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य या उच्च न्यायलय का कोई न्यायधीश) आवेदकों, जो उच्चतर वेतनमान, जिसमें भारत सरकार का अपेक्स वेतनमान भी शामिल है में कार्यरत हैं या थे, के लिए वेतन संरक्षण उपलब्ध है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (सभापति और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्ते) नियम, 2015 द्वारा वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का नियंत्रण किया जाएगा। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर इन नियमों की प्रति उपलब्ध है। चयनित व्यक्ति, यदि पहले से ही सरकारी सेवा में हो तो वह, ऐसे कार्यालय में कार्य करते हुए एक वर्ष की अवधि तक अपने मूल संवर्ग या मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो में अपना दावा रख सकता है।

6. अधिकरण में सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद, यदि कोई सदस्य किसी संगठन/पद में अन्य असाइनमेंट के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसके आवेदन पर एनसीएलटी के सदस्य के रूप में दो साल की सेवा पूरी करने के बाद ही उस असाइमेंट को अग्रेषित करने पर विचार किया जाएगा।

7. प्रत्येक सदस्य द्वारा उनके कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में पदधारण किया जाएगा, परंतु वह अन्य पांच वर्षों की अवधि के लिए पुनः नियुक्ति का भी पात्र होगा। यद्यपि इस नियुक्ति की अवधि पैसठ वर्ष की अधिकतम आयु के अध्यधीन है।

8. चयनित सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व चिक्तिसा योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तूत करना अपेक्षित है।

9. न्यायालय/सरकारी सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अन्य संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख से 10 दिनों के भीतर उचित माध्यम द्वारा अग्रेषित किए जाएं। अग्रेषण प्राधिकारी को यह भी प्रमाणित (ऑनलाइन आवेदन के **अनुलग्नक** में दिए गए प्ररूप में) करना होगा कि आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों को रिकार्ड से सत्यापित किया गया है और इन्हें सही पाया गया है और अधिकारी के विरूद्ध किसी प्रकार के अनुशासनात्मक/सतर्कता कार्यवाहियां न तो लंबित हैं और न ही अपेक्षित है एवं पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर किसी प्रकार की छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है। अग्रेषण प्राधिकारी को आवेदक का पिछले पांच वर्षों का अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर भी संलग्न करने होंगे।

2

10. इच्छुँक व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 15.07.2022 को पूर्वाहन 10:00 बजे से <u>https://apptrbmembermca.gov.in</u> पोर्टल देखने की सलाह दी जाती हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत
करने के लिए विस्तृत अनुदेश पोर्टल ('ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुदेश' शीर्षक के तहत) पर उपलब्ध है। सभी अपेक्षित व अनिवार्य दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन फाइल करते समय अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 12.08.2022 को 05.30 अपराहन है।

11. ऑनलाइन पोर्टल में विधिवत रूप और उचित माध्यम द्वारा (अनुलग्नक में वर्तमान नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र सहित), जहां भी लागू हो, अंतिम रूप से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के उपरांत 23 अगस्त, 2022 तक श्री रियाजुल हक, अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा संख्या 526, ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को प्राप्त हो जाना चाहिए।

12. नियुक्ति की प्रक्रिया, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय में फाइल डब्ल्यूपी(सी)180/2022 या किसी अन्य सक्षम न्यायालय में इसी तरह की अन्य याचिका के परिणाम/आदेशों के अधीन है।

13. इस विज्ञापन को संबोधित संगठनों एवं उनके अधीन कार्यालयों द्वारा व्यापक रूप से प्रकाशित किया जा सकता है, ताकि आवेदनों की शीघ्र और इष्टतम संख्या को सुगम बनाया जा सके।

भवदीय, सिंह मीणा) (अमर निदेशक

प्रतिलिपिः

1. अवर सचिव, प्रशा.॥ अनुभाग, एमसीए को आईसीएलएस अधिकारियों में परिचालित करने के लिए।

2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, एमसीए को पोर्टल पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध सहित

3. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी को डीओपीटी वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

4. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

.

(नियोक्ताकायीलय प्रमुख/अग्रेषणकर्ता अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला प्रमाणपत्र)

यह प्रसाणित किया जाता है कि रहेता एवं अनुभव रखते हैं। यह भ्री प्रसाणित किया के प्रिक्ति परिपत्र में उल्लिति श्रैक्षणिक अहेता एवं अनुभव रखते हैं। यह भ्री प्रमाणित किया जाता है कि:-

(i) श्री/श्रीमतीके विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनामत्क मामला लेबित/विचाराधीन नहीं है।

।ई त्रणीमप्र किन्दि (ii)

(iii) उनकी सीआर/एपीएआर डोजियर मूल रूप में संलग्न हैं। पिछले पांच वर्षों के एसीआर/एपीएआर की प्रतियां, अवर सचिव, भारत सरकार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित, सलंग्न की गई है।

(vi) "मिछले दस वर्षों के दौरान उन पर बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है।"

(۷) पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर लगाए गए बड़ी/छोटी शास्तित्यों की सूची संलग्न की गई है।

रुहम मजीत्वय मुहर
द्रभाष संख्या
नाम और पदनाम
हस्ताक्षर

स्थालः सरीखः

सलज्जको की सूचीः

٦. 2.

3.

5. 4.

र्ठ उत्तक फ्रिट हि न ज़ाल कि)